

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहकम सिंह सिनसिनवार, आर.ए.एस.  
(जीसीएमएस नं. 2025/78)

प्रकरण संख्या:- 47/2025  
तारीख दायर:- 19/06/2025  
निर्णय दिनांक:-30/10/2025

## उनवान

1. कमलादेवी पत्नी मदनसिंह जाति रावत निवासी किशनपुरा तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।  
प्रार्थिया।

## बनाम

1. श्रीलाल कंसारा पिता हेमराज जाति कंसारा निवासी देवगढ़(सोलंकी दरवाजा)तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द राजस्थान।
2. नन्दासिंह पिता खीमसिंह जाति रावत निवासी ग्राम किशनपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द राजस्थान।
3. छगनसिंह पिता भूरसिंह जाति रावत ग्राम किशनपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द राजस्थान।
4. गंगा पत्नी मकनसिंह जाति रावत निवासी ग्राम किशनपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द राजस्थान।
5. देवीसिंह पिता चुनसिंह जाति रावत निवासी ग्राम किशनपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द राजस्थान।
6. लालसिंह पिता पुरणसिंह जाति रावत ग्राम किशनपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द राजस्थान।
7. लुम्बसिंह पिता पुरणसिंह जाति रावत ग्राम किशनपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द राजस्थान।
8. राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द राजस्थान।

## अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज. भू0 राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

प्रार्थिया की ओर से प्रार्थिया अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थिया के स्वामित्व, आधिपत्य, खातेदारी एवं कब्जे की भूमि राजस्व ग्राम किशनपुरा पटवार मण्डल स्वादडी ए तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 13 आराजी संख्या 470 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, खसरा संख्या 471 रकबा 0.3100 हैक्टेयर भूमि स्थित है प्रार्थिया की जमीन के समीप अप्रार्थीगण की जमीन होकर मौके पर मिली हुई है। जिससे फसल बुवाई के समय विवाद होता रहता है। उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थिया द्वारा निवेदन किया गया है।



प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 05 की और से अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 07 के बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 07 के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रार्थिया अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थी संख्या 06 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने हेतु निवेदन किया जिससे अप्रार्थी संख्या 06 के विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की गई। अप्रार्थी संख्या 08 पैरोकार सरकार होने से जवाब अपेक्षित नहीं रहा।

उभयपक्ष की बहस सूनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्थरगढ़ी द्वारा किसी प्रकार का कब्जा संपूर्ण नहीं किया जाता है। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि को सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी कराये जाने का अधिकार निहित कर रखा है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

—:आदेश:—

प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व ग्राम किशनपुरा पटवार मण्डल स्वादडी ए तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 13 आराजी संख्या 470 रकबा 0.2300 हैक्टेयर, खसरा संख्या 471 रकबा 0.3100 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढ़ी से पूर्व उभयपक्षों (खातेदारान् एवं विपक्षीगण/पडौसी खातेदारान्) को पूर्व में ही तिथि एवं समय निर्धारण संबंधी सूचना पत्र जारी किया जावे। न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन अथवा स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होने की शर्त पर पत्थरगढ़ी/सीमांकन की कार्यवाही की जावे। पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा संपूर्ण आदेश नहीं समझा जावे। वक्त सीमांकन प्रार्थी अपनी भूमि पर सीमाचिन्ह स्वयं के खर्चे पर स्थापित करे। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।



*mo'*  
(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़  
जिला राजसमन्द (राज.)